राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या 4/2007–08

क्रमांक :एफ7(4)विज्ञापन/ भर्ती/ 2007–08 दिनांक–22–10–2007

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी–वर्ग चतुर्थ, स्थानीय निकाय विभाग के 66 पदों हेतु निर्धारित O.M.R. Application Form पर प्रार्थना पत्र आमंत्रित :–

पदों का विवरण :–

पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निः शक्तजन L. D.& C.P.
				अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछडी जाति		
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
अधिशाषी अधिकारी–वर्ग चतुर्थ	66	26	10	7	3	5	2	10	3	1 O.L

OMR Application form के कॉलम संख्या 11 में पद की क्रम संख्या 00 अंकित करें।

नोटः–

(1) राजस्थान की अनुसूचित जाति के आरक्षित 10 पदों में से 8 पद एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित 7 पदों में से 6 पद दिनांक 10–10–2002 के पूर्व के है, इन आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22–6–2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जावेगा । इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जावेगा।

(2) राजस्थान की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये शेष आरक्षित पदों को जो कि दिनांक 10–10–2002 के पश्चात् के हैं, उन आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते ।

(3) निःशक्त व्यक्तियों के लिए :–

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.L.- One leg affected (R or L)

(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।

निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपयुक्त निःशक्तजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहॉ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षो तक अग्रणीत किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन आवेदक O.M.R.Application Form के कॉलम संख्या 3 व 4 के यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करे।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

(4) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है । महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा । परन्तु जिस प्रवर्ग की महिला उपलब्ध होगी उसे सम्बधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, समायोजित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉनक्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा** ।

(5) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपबल्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा ।

(6) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है ।

2. शैक्षणिक योग्यता :–

(1) भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक
परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमो या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा किन्तु उसे साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा ।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

स्पष्टीकरणः– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे, एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले है । ऐसे आवेदक OMR Application Form के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन कॉलम में दर्शाये "App." गोले की पूर्ति करे अन्यथा आवेदक का OMR Application Form प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

3. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक –

आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक **30.11.2007** (**30 नवम्बर, 2007**) सायं पांच बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

प्रेषण : O.M.R. Application Form भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें । एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Form भेजा जावें । एक लिफाफे में एक से अधिक O.M.R. Application Form भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी O.M.R. Application Form को पृथम दृष्ट्या पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो ।

4. संवीक्षा परीक्षा का माह, स्थान एवं योजना :–

संवीक्षा परीक्षा सम्भवतः माह फरवरी ,2008 में राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में आयोजित कराई जाएगी । अतः आवेदक जिस जिले से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है OMR Application Form भरने के लिए दिये गये निर्देशानुसार जिले का कोड़ नम्बर चुन कर कॉलम सं0 8 में पूर्ति करें । यदि आवेदक द्वारा जिला केन्द्र कोड नम्बर की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा गलत कोड नम्बर की पूर्ति की जाती है तो आयोग उसे कोई भी जिला परीक्षा केन्द्र आंवटित कर सकता है ।

यदि विज्ञापित पदों हेतु कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो आयोग द्वारा संवीक्षा परीक्षा राज्य के समस्त जिलों में आयोजित नहीं करवाकर केवल राज्य के समस्त संभागीय मुख्यालयों अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं जयपुर पर आयोजित की जा सकती है । संवीक्षा परीक्षा हेतु जिला परीक्षा केन्द्रो का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेक से किया जायेगा तथापि आयोग की यह कोशिश रहेगी की आवेदक द्वारा चुने गये संवीक्षा परीक्षा के जिला परीक्षा केन्द्र के नजदीक (सम्भागीय मुख्यालय) का जिला परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाये ।

आयोग यदि चाहे तो जिला परीक्षा केन्द्रो तथा परीक्षा आयोजन के माह में परिवर्तन कर सकता है । **संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गये जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं कों दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा, अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से संवीक्षा परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गये जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है । आयोग द्वारा इन पदों की संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक (Objective Type) होगी।**

5. परीक्षा शुल्क :–

पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित O.M.R.Application Form के मूल्य में परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा । अतः आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन पत्र क्रय कर आवेदन करे । यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के O.M.R.Application Form भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे O.M.R.Application Form को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

(क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 250/– का O.M.R.Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 200/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/–)

(ख) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 150/– का O.M.R. Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 100/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /–)

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदको हेतु रूपये 50/– का O.M.R.Application Form (इन वर्गो के आवेदक शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का ही मूल्य रूपये 50/– लिया जा रहा है ।)

नोट :— (1) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा । ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

6. आयु :—

दिनांक 1—1—2008 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :—

1. राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादिय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है ।
2. ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में —
   (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछडे वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
3. विधवाओं और विछिन्न—विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।
   स्पष्टीकरण— विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
5. राजस्थान राज्य, नगर पालिका, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
6. ऊपर उल्लेखित उच्चतर आयुसीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होनें दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) आधार पर सेवा की है ।
7. ऊपर उल्लेखित उच्चतर आयुसीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।,
8. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
9. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्यिों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार इन पदो के सामने दर्शायी गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित आयु सीमा मे निम्नानुसार छूट देय है।
   (1) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
   (2) अ0पि0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
   (3) अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट :— उपरोक्त पैरा 6 के प्रावधान संख्या 1 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

7. अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :—

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये । यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

8. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :—

1 किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1—6—2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :—

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहॉ बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा

4 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा ।

5 आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे ।

9. **श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा** :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होगें । केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वंय अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा ।

10. आवेदन कैसे करें :–

आवेदक **राजस्थान राज्य के सभी जिला रोजगार कार्यालयों से** आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित **OMR Application Form** नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन कर सकते है ।

आवेदन पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें । इस सम्बन्ध में विज्ञापन के बिन्दु परीक्षा शुल्क का आवश्यक रूप से अवलोकन करें ।

आवेदकों की सुविधा हेतु जयपुर जिला मुख्यालय पर आवेदन पत्र निम्न स्थानों से विक्रय किये जायेंगे :–

1. प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, राम मन्दिर, जयपुर
2. विश्वविद्यालय परिसर रोजगार कार्यालय, जयपुर
3. महिला रोजगार कार्यालय , जयपुर (केवल महिलाओं को आवेदन पत्र विक्रय हेतु)

नोटः– आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के सभी जिला रोजगार कार्यालयों से दिनांक 26–10–2007 से 27–11–2007 तक तथा दिनांक 28–11–2007 से आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक केवल रोजगार कार्यालय, अजमेर से O.M.R. Application Form उपलब्ध कराये जायेगें ।

कृपया ध्यान दें :

- लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम का अवश्य उल्लेख करें
- यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक O.M.R. Application Form भरकर भेजे जातें है तो ऐसे आवेदकों के सभी O.M.R. Application Form प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- आवेदक श्रेणी वार तय किये गये आवेदन पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर ही आवेदन करें । गलत श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा रदद् कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- आवेदक O.M.R. Application Form के ▯ कॉलम व O गोले भरने हेतु **केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें** ।
- आवेदक आयोग को आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स ▯ में की गई प्रविष्टियॉ एवं नीचे भरे गये गोले O एक समान है । गोलें और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोलें में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा । O.M.R. Application Form के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोडें । अधूरा भरा O.M.R. Application Form अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।
- OMR Application Form आवेदन अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा । आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है तथा घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये है । हस्तारयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि O.M.R.Application Form भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं O.M.R.Application Form भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि O.M.R.Application Form में भरी गई सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः पढी जावेगी जिसके आधार पर ही आयोग द्वारा आवेदकों को अस्थाई (Provisionl) प्रवेश दिया जावेगा ।
- आयोग कार्यालय द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता(आयु, योग्यता श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी । यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका O.M.R.Application Form अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी । O.M.R. Application Form में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा ।
- विज्ञापित पदों के विरूद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी । संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन–पत्र भेजकर भरवाया जावेगा । आवेदकों से विस्तृत आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।
- O.M.R.Application Form के साथ किसी प्रकार के मूल/ प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं करें ।

11 आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा

परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले आवेदकों से भरवाये जावेगें) भेजना आवश्यक है अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :–

(अ) जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है ।

(ब) अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमिलेयर/ नॉन क्रिमिलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है ।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण–पत्र O.M.R. Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए जाति प्रमाण–पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा।

(द) राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्ग के क्रिमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित O.M.R.Application Form पर आवेदन करना होगा ।

(य) अन्य पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/ माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो । अन्य पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा । पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

(र) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है ।

(ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि O.M.R.Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये ।

नोट :– आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा ।संवीक्षा परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग, अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है । जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।

12. वेतनमान :– रूपये 5500–175–9000
अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं ।

13. कार्य : राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1969 व उसके अन्तर्गत बने नियम व उपनियम अनुसार निर्धारित कार्य।

14. परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार ।

15. महंगाई भत्ता : नियमानुसार ।

16. मुख्यालय : राजस्थान राज्य के किसी भी नगरीय क्षेत्र में।

17. **पेंशन** :–राजस्थान नगर पालिका पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन देय होगी।

<u>आयोग की वेबसाइटः–</u>

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145–2627696 एवं 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

<u>विशेष टिप्पणी :–</u>

(1) आवेदक को आयोग के परीक्षा/साक्षात्कार परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है ।

(2) आवेदकों की सुविधा हेतु इन पदों का पाठ्यक्रम राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर में दिनांक 1–11–2007 को प्रकाशित किया जा रहा है ।

(3) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाऐं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही है। अतः O.M.R.Application Form के साथ आवेदकों को सूचना पत्रिका नहीं दी जावेगी।

<u>सचिव</u>